

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद्, रायपुर

CHHATTISGARH MEDICAL COUNCIL: RAIPUR

(Estd. on 26-2-2001 U/s 3 of the Chhattisgarh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam 1987, C.G. Govt. Adaptation order 2001)

1st Floor, Dr. Balmukund Sharma Clinic, Kankalipara, Near Nagar Nigam Ayurvedic Hospital, Raipur – 492001 (C.G.)

Tel. & Fax No. 0771-2543393

Email id: cg_medicalcouncil@yahoo.co.in

क्रमांक सीजीएमसी / पंजीयन / लेखा / 2023 / 690

रायपुर दिनांक 22.09.2023

// कार्यालय आदेश //

कार्यालय Directorate General of GST Intelligence Raipur वस्तु एवं सेवाकर आसूचना महानिदेशालय रायपुर के पत्र क्रमांक CBIC-DIN-202307DEE 0000333AE9 Date 24-07-2023 and CBIC-DIN 202308DEE4000000F5EB Date 29-08-2023 में केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत कार्यालय को प्राप्त होने वाले पंजीयन शुल्क, अनापत्ति प्रमाण पत्र, Good Standing Certificate, डुप्लीकेट प्रमाण पत्र, इत्यादि के लिए समस्त शुल्क में 18% जीएसटी अतिरिक्त देय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

(अध्यक्ष, छ.ग. मेडिकल कौंसिल के द्वारा अनुमोदित)

रजिस्ट्रार

छ.ग. मेडिकल कौंसिल, रायपुर
रायपुर दिनांक 22.09.2023

पृ. क्रमांक सीजीएमसी / पंजीयन / लेखा / 2023 / 691
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, पॉकेट 14, सेक्टर-08, नई दिल्ली 110077 की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल, नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) 492002
3. संचालक स्वास्थ्य सेवायें सह अध्यक्ष, छ.ग. मेडिकल कौंसिल, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सदस्य, छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल, रायपुर समस्त की ओर सादर सूचनार्थ।
5. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, समस्त छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला समस्त छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
7. कार्यालयीन प्रति।



रजिस्ट्रार

छ.ग. मेडिकल कौंसिल, रायपुर